(32)

समक्ष श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा (म.प्र.)

R-2892-II/14

बीरेन्द्र सिंह तनय स्व. श्री शिव बक्स सिंह उम्र 61 वर्ष निवासी ग्राम नरहटी तहसील उचेहरा जिला सतना म.प्र. ————————————————निगराकार

बनाम

1. शासन म.प्र. द्वारा राजस्व निरीक्षक सर्किल उचेहरा तहसील उचेहरा जिला सतना म.प्र.
2. राजपाल शर्मा तनय स्व0 श्री राम सुजान शर्मा उम्र 57 वर्ष निवासी ग्राम नरहटी तहसील उचेहरा जिला सतना म.प्र ————————रेस्पा.गण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 बिरूद्ध आदेश तहसीलदार/ राजस्व निरीक्षक मंडल उचेहरा जिला सतना म.प्र. के प्रकरण क्र. 24ए12/11-12 मे पारित आदेश दिनांक 27-07-2012।

मान्यवर,

निगराकार निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर विनय करता है –

1– यह कि रेस्पा.क्र. 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम नरहठी तहसील उचेहरा जिला सतना की आराजी नं. 207/1क एवं आ.नं. 582/1 रकवा 0.042 हे. का सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदनपत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार महोदय के आदेशानुसार उक्त आराजियात का सीमांकन राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी के द्वारा किया गया जिसकी कोई जानकारी निगराकार को नही दी गई निगराकार को बिना सूचना दिये व उसकी अनुपस्थित मे उक्त सीमांकन की कार्यवाही की गई जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 27-07-2012 के द्वारा की गई।

2– यह कि उक्त सीमाकन प्रतिवेदन के आधार पर रेस्पा.क्र. 2 ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उचेहरा के समक्ष आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 250 प्रस्तुत कर उसके द्वारा लेख किया गया कि उसके स्वामित्व की आ.नं. 582/1 रकवा 4 विश्वा मे से पश्चिम तरफ 0.10 जरीब एवं पूर्व-पश्चिम 0.70 जरीब उत्तर दक्षिण रकवे पर निगराकार के द्वारा जोत-बो कर अबैध कब्जा किया गया है जिसका उक्त सीमांकन कराने पर उसे जानकारी प्राप्त हुई है इसलिए निगराकार के द्वारा

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2892/1/14 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	वीरेन्द्र सिंह — कार्यवाही तथा आदेश — शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.3.16	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल उचेहरा तहसील उचेहरा जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 24/अ-12/11-12 में पारित आदेश दिनांक 27-7-12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता श्री रामनरेश मिश्रा को सुना गया एवं उनके तर्कों पर विचार किया गया तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 27-7-12 एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का परिशीलन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अना० 2 के आवेदन पर सर्वे क्र० 207/1क एवं 582/1 रकबा 0.042 हे० का सीमांकन कराने जाने के प्रस्तुत आवेदन पर दिनांक 20 एवं 21-6-12 को सीमांकन की कार्यवाही की गई जिसे रा०नि० के आदेश दिनांक 27-7-12 से पुष्टिकृत किया गया है। सीमांकन कार्यवाही के अवलोकन से पाया गया कि सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 25-6-12 में यह अंकित है कि आवेदित आराजी नम्बर के वहां नम्बरों का कब्जे के आधार पर मौके पर पेन्सिल से तरमीम किया गया इसके बाद सर्वे क्र० 582 के पूर्वी भाग में बन्दोबस्ती रोड का परीक्षण कर बिन्दु A कायम कर सीमांकन कार्यवाही की गई। जिसमें आवेदक को अनावेदक की भूमि पर दखल रकबा बताया गया है। उक्त सीमांकन के संबंध में सूचना पत्र दिनांक 19-6-12 का अवलोकन करने पर पाया गया कि उसमें आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है वहीं यह भी स्पष्ट है कि सूचना पत्र भी एक दिन पहले जारी की गई है जबकि उसे कम से कम एक सप्ताह पूर्व जारी की जाना चाहिए जिसका अभाव पाया गया है। वहीं सीमांकन प्रकरण के संलग्न अभिलेख नक्शा एवं रिपोर्ट सीमांकन से भी स्पष्ट है कि आवेदित आराजी का नक्शा तरमीम नहीं हुआ	

है सीमांकन स्थिति में बिना नक्शा तरमीम के किया गया सीमांकन प्रमाणित एवं वैधानिक नहीं माना जा सकता वहीं ऐसे विधि विरुद्ध सीमांकन के आधार पर धारा 250 की कार्यवाही भी उचित नहीं मानी जा सकती। सम्पूर्ण सीमांकन कार्यवाही में संहिता की धारा 129 में निहित प्रावधानों का पालन किया जाना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 27-7-12 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रश्नाधीन सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 27-7-12 निरस्त की जाती है तथा इस सीमांकन को आधार मान कर की जा रही 250 की कार्यवाही भी स्थगित की जाती है।

प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे सर्वप्रथम सीमांकन हेतु प्रस्तावित भूमि के नक्शा तरमीम की कार्यवाही पूर्ण करें तथा उभयपक्ष एवं सर्वसंबंधित हितबद्ध समस्त सरहदी कृषकों को सीमांकन दिनांक निश्चित कर उसके कम से कम एक सप्ताह पूर्व सूचना का प्रकाशन कर सूचित करते हुए विधिवत सीमांकन की पुनः कार्यवाही करें। पुनः सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण होने तक प्रश्नाधीन आदेश निरस्त होकर प्रभावहीन रहेगा। आवेदक एवं अना० को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की संसूचना के एक माह के अन्दर स्वयं पीठासीन अधि० तह० के समक्ष उप० होकर उक्त सीमांकन कार्यवाही में सहयोग करें। उक्त निर्देशों के साथ निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति तह० को भेजी जावे पक्षकार सूचित हों। प्र० दा० रि० हो।